5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प इंदौर (म.प्र.)

R-4034/PBR/13

राधाकिशन पिता जयसिंह
निवासी ग्राम कदवाली खुर्द
तहसील सांवेर जिला इंदौर
हा.मु. – सुनाटा तहसील देपालपुर
जला इंदौर ---- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. कल्याणसिंह पिता भुवानसिंह
2. उमरावसिंह पिता दर्यावसिंह
3. रामेश्वर पिता दर्यावसिंह
4. कैलाश पिता दर्यावसिंह
5. फूलसिंह पिता दर्यावसिंह
6. जानकीबाई बेवा राधेश्याम
7. महेश पिता राधेश्याम
8. कमल पिता राधेश्याम
9. जगदीश पिता भुवानसिंह
10. हरीसिंह पिता केशरसिंह
11. शिवनारायण पिता केशरसिंह

निवासी – ग्राम कदवाली खुर्द तहसील सांवेर
जिला इंदौर ----- प्रत्यर्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

अविरत............2 पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 4034-II / 13 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–6–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 9–1–13 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुवभिागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–4–2011 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 30–10–2011 को लगभग 6 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि आवेदक की ओर से विलम्ब के सम्बन्ध में संतोषजनक कारण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में नहीं दर्शाया गया है, जबकि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन कर आपत्ति प्रस्तुत की गई है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अन्तिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किए जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	